# फर्द अहकाम

(नियम–26)

**अदालत उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)**

**प्रार्थना पत्र धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत** रास्ता अरज़ा२ | प्रेम देवी

**प्रकरण संख्या** 36 / 2025 (2025/122(अ))

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 12.03.2025 | राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर, दिनांक 10.08.2016 एवं क्रमांक:प3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30/09/2021 की पालना में राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने राजस्व ग्राम गढ़ पटवार हल्का गढ़ भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त तूंगा तहसील तूंगा खसरा नम्बर 1946 रकबा 0.1900 हैक्टेयर में प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में स्थाई अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस, मौका पर्चा के प्राप्त हुआ है। मुताबिक रिपोर्ट खसरा नम्बर 1946 रकबा 0.1900 हैक्टेयर ग्राम गढ़ में से 0.0680 है0. की भूमि का उपयोग मौके पर आने जाने हेतु आम रास्ता काफी वर्षो से प्रचलित है एवं कदीमी है। यह रास्ता उक्त खसरा नम्बर में मौके पर चालू है, लेकिन रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही (डोटडे लाईन) से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता बारहमासी प्रचलित है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलता नहीं है और आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रास्ते की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने एवं लाल स्याही से अंकन करने के आदेश जारी करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। अप्रार्थीगण की तामील जरिये तामील कुलिन्दा करवाई गई। सम्यक तामील के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार के अनुसार तहसीलदार तूंगा के द्वारा प्रेषित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम गढ़ पटवार हल्का गढ़ भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त तूंगा तहसील तूंगा के खसरा नम्बर 1946 रकबा 0.1900 हैक्टेयर ग्राम गढ़ में से 0.0680 है0. भूमि का राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुये रास्ते कें रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं प्रस्तावित नक्शे अनुसार नक्शे में तरमीम की जाकर उक्त भूमि खातेदार की खातेदारी में रखी जावें। तहसीलदार तूंगा द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा, तदानुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद हेतु तहसीलदार तूंगा कोतहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>**उपखण्ड अधिकारी बस्सी**<br>**जिला–जयपुर** | |